

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं.:- 108/2018

दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1466

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी करना व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम एवाडी चौसीरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2073-2076 में खाता संख्या 24 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि भूरीदेवी पत्नि रिडमल के स्थान पर भूरीदेवी पत्नि रिडमलसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1467-1469

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भूरीदेवी पत्नि रिडमलसिंह निवासी एवाडी चौसीरा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी